भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *460**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सशक्त बनाना

***460. श्री दर्शन सिंह चौधरी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) को पर्याप्त बजट और संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त प्राधिकरण के माध्यम से कितने किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और निर्यातकों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण या विपणन संबंधी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए कोई योजना बनाने या सुधार करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भविष्य में वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, गुणवत्ता मानकों का पालन करने और ब्रांड संवर्धन के लिए एपीईडीए के माध्यम से निर्यातकों और किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध रूपरेखा तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सशक्त बनाना" के संबंध में दिनांक 24.03.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *460 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) से (घ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) एपीईडीए अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसे एपीईडीए अधिनियम, 1985 की धारा 10(2) के तहत विनिर्दिष्ट अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। इसके कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्योगों का विकास करना, अध्ययन एवं व्यवहार्यता अध्ययन करना, निर्यात के लिए संभावित उत्पादों के लिए बाजारों की खोज करना, गुणवत्तापूर्ण निर्यात सुनिश्चित करने के लिए मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना, पैकेजिंग में सुधार करना, भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों का विपणन करना, निर्यातोन्मुखी उत्पादन और निर्यात विकास को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और संबंधित हितधारकों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

वर्तमान में, एपीईडीए के हितधारकों को 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26) के लिए "एपीईडीए की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना" के तहत तीन घटकों में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है: (i) निर्यात अवसंरचना का विकास, (ii) गुणवत्ता विकास, (iii) बाजार विकास। योजना के दिशानिर्देश https://apeda.gov.in/FinancialAssistanceSchemes पर उपलब्ध हैं।

15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, एपीईडीए को योजना के कार्यान्वयन के लिए 405.02 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय संस्वीकृत किया गया है। अब तक, हितधारकों को घटकवार सहायता का विवरण, निम्नवत है:

घटक	लाभार्थियों की संख्या	सहायता राशि
निर्यात अवसंरचना का विकास	137	122.02 करोड़ रुपये
गुणवत्ता विकास	130	41.00 करोड़ रुपये
बाजार विकास	1815	242.00 करोड़ रुपये
कुल	**2082**	**405.02 करोड़ रुपये**

कृषि-निर्यात मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी हितधारकों, जिनमें किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और निर्यातक शामिल हैं, की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, एपीईडीए ने अपने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम को बढ़ाया है। राज्य सरकार की एजेंसियों, कृषि विकास केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों

और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) आदि जैसे संस्थानों के समन्वय से, अंतर्राष्ट्रीय मानकों, आयातक देश की आवश्यकताओं, बेहतर कृषि पद्धतियों, गुणवत्ता नियंत्रण, बेहतर पैकेजिंग, विपणन कार्यनीतियों आदि के प्रति हितधारकों को जागरूक करने के लिए वास्तविक और हाइब्रिड मोड में लक्षित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, तीन वित्तीय वर्षों के लिए एपीईडीए के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विवरण निम्न है:

	वर्ष 2023-24	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26 (01.03.26 तक)**
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्रों की संख्या	255	934	1582
प्रतिभागियों की संख्या (किसानों और एफपीओ सहित)	30,384	88,026	1,65,226

आगामी 16वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31) के लिए, एपीईडीए ने एक संशोधित वित्तीय सहायता योजना तैयार की है, जिसमें एपीईडीए द्वारा अपने हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और नीति आयोग द्वारा निर्धारित योजना के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर योजना को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करने और ब्रांड प्रचार के लिए निर्यातकों और किसानों सहित अपने हितधारकों को एपीईडीए द्वारा दिया जाने वाला सहयोग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के संबंध में, भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वास्तविक/वर्चुअल माध्यम से अधिकतम जिला कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, हितधारकों से आवेदन प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी आवेदक हितधारक का चयन पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने, योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन करने और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। कवरेज बढ़ाने के लिए, एपीईडीए आंतरिक संसाधनों को जुटाकर, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करके और आगामी 16वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2026-31) के तहत सरकार से बढ़ी हुई निधि, जो वित्त मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है, को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने पर काम कर रहा है।
